उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 230वीं बैठक
दिनांक 26 सितम्बर, 2014 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 230वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री शहाबुददीन मोहम्मद	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
4–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
5–	श्री अजय कुमार मिश्र	वरि0 नगर नियोजक प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
6–	श्री मुकुल जोशी	उप निदेशक,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यमविभाग	सदस्य
7–	श्री श्रवण कुमार सिंह	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
8–	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
9–	श्री भुवनेश कुमार	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
230/1	परिषद की 229वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 229वीं बैठक दिनांक 28.07.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
230/2	परिषद की 229वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2014 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 229वीं बैठक दिनांक–28.07.14 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

समन्वय अनुभाग

230/3	परिषद के वरिष्ठ अधिकारियो को सी0यू0जी0 प्लान के अधीन आवंटित नम्बर पर व्यय हेतु निर्धारित सीमा में वृद्धि किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
230/4	श्री प्रमोद कुमार, उप निदेशक की पत्नी श्रीमती अरूण के चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्मिको के चिकित्सा व्यय–प्रतिपूर्ति के दावो में समय अधिक न लगे इस हेतु भविष्य में मा0 परिषद की सीमा के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति के दावो की स्वीकृति हेतु शासन अग्रसारित किये जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया। इन प्रकरणों को परिषद की आगामी बैठक में अवलोकित करा लिया जाये।

पंजीकरण अनुभाग

230/5	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के शिखर एन्क्लव में एस0एफ0एस0 फ्लैट हेतु पंजीकृत मा0 न्यायमूर्ति, श्री राजीव शर्मा द्वारा फ्लैट के स्थान पर भूखण्ड संख्या–16ए/2037 क्षेत्रफल 179.80 वर्गमीटर आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

230/6	मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद में नगर निगम, मुरादाबाद से सम्बन्धित भूमि के आसुधार शुल्क/विकास शुल्क से अवमुक्त/छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त विकास शुल्क के स्थान पर 20 प्रतिशत असुधार शुल्क के आधार पर समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।
230/7	परिषद की जिगर कालोनी मुरादाबाद स्थित भवन संख्या–जी.ए/77 के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं पर सम्यक परीक्षण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जोन का निर्णय लिया गया।
230/8	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–14/कॉम–1 के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। पूर्ण सूचनाओं सहित पुनः परिषद की बैठक में रखा जाय।
230/9	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–13/एस–2 के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। पूर्ण सूचनाओं सहित पुनः परिषद की बैठक में रखा जाय।
230/10	जागृति विहार योजना सं0–6, मेरठ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–1 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह विचार किया गया कि प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

230/11	अवध विहार योजना एवं वृन्दावन योजना, लखनऊ को जोड़ने वाले रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

230/12	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थिति व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–15/कॉम–2 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 08.03.13 के मद सं0 15 पर पारित निर्णय के अनुपालन की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर ली जाय। पूर्ण सूचनाओं सहित प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में रखा जाय।
230/13	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या–2बी/आई0एन0एस0 –4 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 08.03.13 के मद सं0 15 पर पारित निर्णय के अनुपालन की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर ली जाय। पूर्ण सूचनाओं सहित प्रस्ताव आगामी परिषद बैठक में रखा जाय।

प्रशासन अनुभाग

230/14	श्री मथुरा प्रसाद वैश्य, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जिनकी सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर दिनांक 30.06.2014 तक के लिए स्वीकृत थी, को दिनांक 31.12.2014 तक के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
230/15	श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनकी सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर लिए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

230/16	ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासनादेश परिषद में अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।
230/17	आम्रपाली योजना, लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की आन्दोलन अवधि दिनांक 0903.2009 से दिनांक 27.03.2012 एवं दिनांक 05.08.2012 से 31.01.2014 तक को शून्य अवधि मानने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

230 / 18	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय। मा0 निर्णायक मण्डल के समक्ष सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा परिषद कार्मिकों के पक्ष में पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है इसलिये परिषद के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति नहीं प्रस्तुत की जा पा रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के लिए मार्गदर्शन चाहा गया।	निर्णायक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त करके आवास आयुक्त को संपूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु अधिकृत किया गया।

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष

अपर आवास आयुक्त एव
सचिव

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष